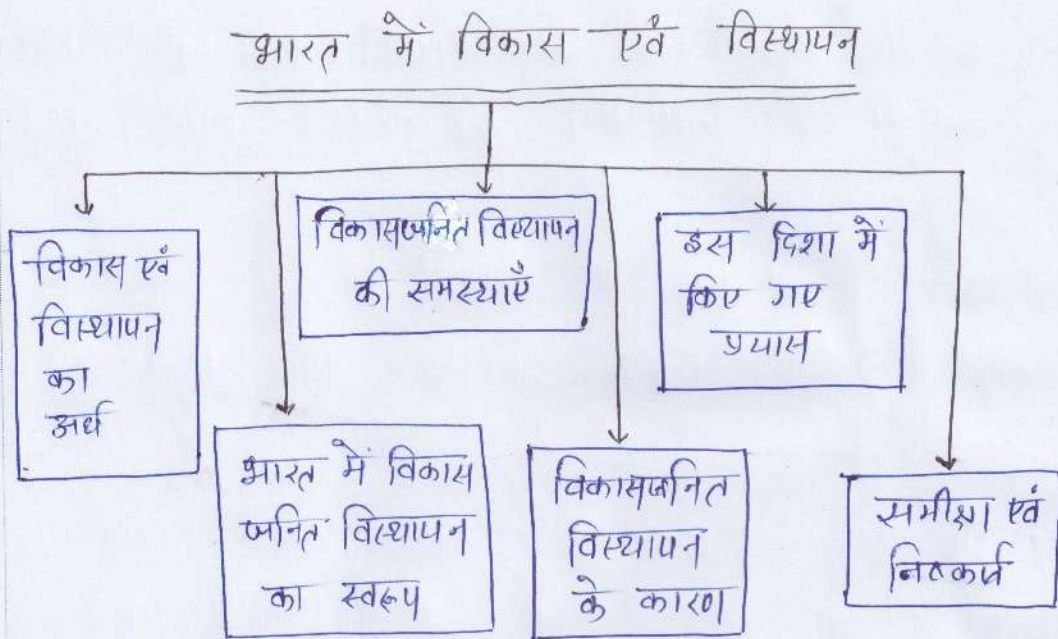




भारत में विकास एवं विस्थापन का अर्थ :-

विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः वृद्ध विकास परियोजनाओं के निर्माण, औद्योगीकरण, वनस्पति उखाड़ना आदि हेतु किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को उनके इच्छा के विपरीत हटा देना या उस क्षेत्र के स्वामित्व से वंचित कर देना, विस्थापन कहलाता है।

भारत में विकासजनित विस्थापन का स्वरूप -

1. 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार - आजादी के बाद से लगभग 1.5 लाख वर्ग किमी. भूमि

का अधिग्रहण किया गया है। जिसमें लगभग 6 करोड़ लोग विकासजनित विस्थापन के शिकार हुये।

2. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार - 6 करोड़ विस्थापितों को उपरोक्त संख्या में शामिल नहीं किया गया है।

3. भारत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विकास जनित विस्थापितों की संख्या लगभग 13.6 करोड़ है, जिनमें 55.16 प्रतिशत जनजातियों से संबंधित लोग हैं।

4. भारत में विस्थापन के दो स्वरूप विख्यात पड़े हैं -

i) - सामान्य विस्थापन

ii) - जनजातीय विस्थापन

भारत में विकास जनित विस्थापन की समस्याएँ :-

1. अनैच्छिक रूप से अपनी गांव या भूमि छोड़ने के लिए विवश होना।

2. बार-बार विस्थापन (1964 में सिंगरौली परियोजना का उदाहरण)

3. अपने मूल स्थान को छोड़ने का दर्द (मुख्यतः जनजातियों में)
4. जीवन-यापन के साधन/आर्थिक व्यवस्था का विखण्डन
5. अपर्याप्त पुनर्वास की समस्या
6. पुनर्वासित स्थलों पर श्रेवाद एवं कानून व्यवस्था की समस्या
7. विस्थापन के विरोध में आंदोलन फलतः परियोजना के स्वर्च में बाधक बलित विकास की प्रक्रिया बाधित



भारत में विस्थापनजनित जनजातीय समस्याएँ

1. अनर्च्छक विस्थापन का दर्द
2. अपर्याप्त मुआवजा
3. अधिष्ठा एवं लागूकता के अभाव के कारण निर्धारित मुआवजा का नहीं मिल पाना और प्राप्त मुआवजा का अन्य अलाभकारी कार्यों में स्वर्च हो पाना।
4. उनकी आर्थिक व्यवस्था का विखण्डन

5. अपर्याप्त पुनर्वासि और नये पुनर्वासित स्थान पर सामंजस्य में कठिनाई
6. जनजातीय नातेदारी संबंधों में बिखराव और उनके पवित्र सांस्कृतिक स्थलों का विनाश
7. विकास परियोजनाओं में रोजगार का अभाव
8. वामपंथी उग्रवाद का उद्भव

विकासजनित विस्थापन के कारण:-

1. बांध एवं नदी घाटी परियोजना का निर्माण
2. औद्योगीकरण एवं SEZ (अन्य आर्थिक क्षेत्र) का निर्माण
3. खनिज संसाधनों का उत्खनन
4. नगरीकरण, नगरीय विकास एवं अन्य विकास संबंधित परियोजनाओं का निर्माण
5. भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की स्वामियां
6. समुचित पुनर्वासि नीति का अभाव
7. भ्रष्टाचार एवं परियोजनाओं का राजनीतिकरण
8. राजनीतिक एवं प्रशासनिक ^{उच्छा} शक्ति का अभाव

विस्थापनजनित समस्या को रोकने के उपाय:-

1. पंचायत (एक्सटेंशन डू शेड्यूल एरियाज) एक्ट, 1996 [पेसा कानून]
2. वन अधिकार अधिनियम, 2006
3. पांचवी अनुसूची से संबंधित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण पर रोक
4. राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 एवं राष्ट्रीय पुनर्वास अधिनियम 2007
5. भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013
6. परियोजना निर्माण एवं इसके क्रियान्वयन में N60 के सहयोग पर बल
7. पुनर्वास स्थल पर आधारभूत अवसंरचना का विकास

समीक्षा एवं सुझाव:-

- a) उपरोक्त उपायों से निश्चित रूप से विस्थापन की समस्या के समाधान में काफी मदद मिली है, जैसे:.....

- b) फिर भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं,
और आज भी यह भी समस्या पूरी
तरह से समाप्त नहीं हो पाई है।
- c) निम्न बुझावों पर अमल करके इन
समस्याओं को दूर किया जा सकता है।



1. - परियोजना से संबंधित सभी जानकारीयों
स्पष्ट की जायें।
2. परियोजना निर्माण के समय प्रभावितों की
भागीदारी को सुनिश्चित किया जाये।
3. विस्थापन के तुरंत बाद समुचित पुनर्वास
की व्यवस्था की जाये और पुनर्वास
स्थलों पर सार्वजनिक सुविधाओं का
समुचित प्रबंध किया जाये।
4. मुआवजे की राशि उचित हो और
समय पर उसका भुगतान हो।
5. ● LARR, Act 2013 को दृढ़ इच्छाशक्ति
के साथ लागू किया जाये।
(सितम्बर 2016 को सरकार सरोवर परियोजना
के संदर्भ में न्यायमूर्ति इन आयोग की
रिपोर्ट में विस्थापितों के पुनर्वास में

व्यापक अभ्याचार का खुलासा हुआ है।)



7.